

आवासीय परिसर में व्यवसायिक उपयोग कर रहे अवैध निर्माण को निगम द्वारा हटाया गया

भिलाईनगर/ आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने कुछ दिन पूर्व ही नगर पालिक निगम भिलाई के समस्त जोन आयुक्त को सख्त निर्देशित किया है कि आवासीय भूमि में अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें!

इसी तारतम्य में आज जोन क्रमांक 3 क्षेत्र अंतर्गत शारदा पारा वार्ड क्रमांक 21 में आवासीय भूमि में व्यवसायिक उपयोग कर रहे सुंदर साव जिसने अवैध रूप से भवन निर्माण कर लिया था एवं बांस बल्ली का भी व्यवसाय कर रहा था जिसे तोड़फोड़ दस्ता द्वारा हटा दिया गया! तोड़फोड़ दस्ता के साथ पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जोन क्रमांक 3 निगम प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, विद्युत कनेक्शन अवरुद्ध करने हेतु लाइनमैन ने मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की!

जन सम्पर्क अधिकारी

